विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 364 दुर्ग, दिनांक 14/10/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 137
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई,
बी.पी. क्रमांक : 1005079290

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट।
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 01 / 10 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वाटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1005079290, स्वीकृत भार 13.3 अश्व शक्ति, के विद्युत देयक में त्रुटिपूर्ण बिलिंग किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वाटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 13.3 अश्व शक्ति है।

3. जुलाई 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि जुलाई 2025 में 694 यूनिट की बिलिंग उचित मीटर रीडिंग एवं सत्यापन के बिना की गई है। आवेदक के अनुसार, बिल में दर्शाई गई यूनिट वास्तविक विद्युत खपत के अनुरूप नहीं हैं, अतः उक्त बिलिंग की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्युत कनेक्शन में कम पावर फैक्टर दर्ज होने के कारण कैपेसिटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक की मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण के अभिलेखों के अनुसार, उक्त विद्युत कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

क्या आवेदक के विद्युत कनेक्शन की बिलिंग मीटर रीडिंग, उपलब्ध खपत संबंधी अभिलेखों एवं लागू नियमों के अनुसार सही की गई है तथा क्या संबंधित विद्युत देयकों में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत दस्तावेजों, मीटर रीडिंग डायरी, बिलिंग गणना पत्रक एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आते हैं :–

6.1. अनियमित मीटर रीडिंग एवं डोर लॉक के आधार पर बिलिंग

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के अवलोकन से पाया जाता है कि अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक उपभोक्ता के परिसर में मीटर रीडिंग अनियमित रही, जिसके कारण अधिकांश महीनों में डोर लॉक कोड के अंतर्गत बिलिंग की गई।

अभिलेखों के अनुसार, उक्त अवधि में अधिकतम मांग 11 किलोवाट के आधार पर दर्शाई गई तथा पावर फैक्टर अधिभार भी लगाया गया। तथापि, अनावेदकगण द्वारा डोर लॉक के आधार पर बिलिंग किए जाने के दौरान लागू विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए गए हैं।

जुलाई 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद प्रारंभिक दो महीनों में कोई रीडिंग दर्ज नहीं पाई गई। इसके पश्चात उपलब्ध बिलिंग गणना पत्रक में मीटर रीडिंग दर्ज होना प्रारंभ हुआ, जिसके अनुसार औसत खपत लगभग 250 यूनिट प्रतिमाह रही।

अतः पूर्व अवधि में अनियमित मीटर रीडिंग एवं डोर लॉक के आधार पर की गई बिलिंग को संशोधित किया जाना उचित है। अतः संबंधित अवधि की खपत को लगभग 250 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के अनुसार बिलिंग संशोधित किया जाना उचित होगा।

6.2. पावर फैक्टर अधिभार

अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि जिन महीनों में मीटर रीडिंग अनियमित रही तथा डोर लॉक के आधार पर बिलिंग की गई, उन महीनों में पावर फैक्टर अधिभार भी लगाया गया हैं।

अतः संबंधित अवधि के पावर फैक्टर अधिभार की राशि की वसूली को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित किया जाना उचित होगा।

6.3. अधिकतम मांग एवं अधिभार

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग अभिलेखों में अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक की अवधि के दौरान 11 किलोवाट की अधिकतम मांग दर्शाई गई है। दूसरी ओर, प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उपभोक्ता के परिसर में अधिकतम भार 9.18 किलोवाट पाया गया है।

अतः अनियमित मीटर रीडिंग की अवधि में अधिकतम मांग के आधार पर लगाए गए अधिभार/दंड की विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निरस्त किया जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक अनियमित मीटर रीडिंग एवं डोर लॉक कोड के आधार पर की गई बिलिंग की 250 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के अनुसार संशोधित बिल जारी किया आये।

2. अनावेदकगण संबंधित अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर अधिभार की राशि को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित करें।

3. अनावेदकगण अनियमित मीटर रीडिंग की अवधि में 11 किलोवाट अधिकतम मांग के आधार पर लगाए गए अधिभार/दंड निरस्त कर बिलिंग में आवश्यक संशोधन करें।

4. उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी विद्युत देयकों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग का विस्तृत गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. राजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग